

झारखण्ड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
(उच्च शिक्षा प्रभाग)

प्रेषक,

रामनिवास यादव (भा0प्र0से0),
निदेशक, उच्च शिक्षा।

सेवा में,

अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी(उच्च शिक्षा),
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड, राँची।
राँची, दिनांक 26/06/2024

विषय:-

वित्तीय वर्ष 2024-25 में जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय, जमशेदपुर के
केन्द्रीय पुस्तकालय हेतु पुस्तकों के कय के निमित्त रू0 4,00,00,000/- (चार
करोड़ रुपये) मात्र भुगतान हेतु आवंटन प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या
76/बजट दिनांक 24.06.2024 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2024-25 में जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय,
जमशेदपुर के केन्द्रीय पुस्तकालय हेतु पुस्तकों के कय के निमित्त रू0 4,00,00,000/- (चार करोड़
रुपये) मात्र के भुगतान हेतु आवंटन प्रदान की जाती है।

2. राशि का विकलन राशि का विकलन वित्तीय वर्ष 2024-25 के राज्य स्कीम बजट
के निम्नांकित शीर्ष-"मुख्यशीर्ष-2202 सामान्य शिक्षा, 03-विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा, लघु
शीर्ष-796-जनजातिय क्षेत्र उपयोजना, उप शीर्ष- BP- उच्च शिक्षण संस्थानों के आधारभूत संरचना का
विकास, आधुनिकीकरण एवं सुसज्जीकरण हेतु सहायता अनुदान , 01- उच्च शिक्षण संस्थानों के
आधारभूत संरचना का विकास, आधुनिकीकरण एवं सुसज्जीकरण हेतु सहायता अनुदान, विस्तृत शीर्ष-06
अनुदान, 78-पूँजी परिसम्पत्ति के सृजन हेतु अनुदान (विपत्र कोड- 21S220203796BP010678) (स्कीम
कोड-2104) के अंतर्गत होगा।

3. स्वीकृत राशि की निकासी के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव,
उच्च शिक्षा निदेशालय, झारखण्ड, राँची होंगे, जो सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, राँची से राशि की
निकासी कर Book Transfer, बैंक ड्राफ्ट अथवा योजना-सह-वित्त विभाग द्वारा निर्गत किये गये
प्रासंगिक आदेश में विहित माध्यम द्वारा जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय, जमशेदपुर के कुलसचिव को
राशि उपलब्ध करायेंगे एवं कुलसचिव उक्त बैंक ड्राफ्ट को चालान के माध्यम से विश्वविद्यालय के लिए
संचालित पी0 एल0 खाता संख्या-8448 में जमा करायेंगे।

4. जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय, जमशेदपुर के कुलसचिव द्वारा वित्त विभाग के
सुसंगत आदेश एवं परिपत्रों तथा झारखण्ड कोषागार संहिता-2016 के नियम- 339-344 के तहत पी0
एल0 खाता संख्या-8448 से राशि की निकासी की जायेगी।

5. व्यय उपरान्त स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार झारखण्ड एवं
विभाग को ससमय उपलब्ध कराया जाय।

6. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

7. महालेखाकार का कार्यालय, अंकेक्षण/वित्त (अंकेक्षण) विभाग को विमुक्त एवं
निकासी की गई राशि के अंकेक्षण का अधिकार होगा।

8. स्वीकृत्यादेश संख्या 76/बजट दिनांक 24.06.2024 की अन्य शर्तों का अनुपालन
सुनिश्चित किया जायेगा।

9. स्वीकृत राशि की निकासी हेतु तैयार विपत्र निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च एवं
तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किया जायेगा।

विश्वासभाजन,

(रामनिवास यादव)
निदेशक, उच्च शिक्षा।
84-

ज्ञापांक-3/यो01-16/2024 (उ0शि0) 80/9045 /रॉची, दिनांक- 26/06/2024

प्रतिलिपि -महालेखाकार का कार्यालय, झारखण्ड, रॉची/ कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, रॉची/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, जमशेदपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(रामनिवास यादव)
निदेशक, उच्च शिक्षा।

ज्ञापांक-3/यो01-16/2024 (उ0शि0) 80/9045 /रॉची, दिनांक- 26/06/2024

प्रतिलिपि -विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/ निदेशक, उच्च शिक्षा के प्रधान आप्त सचिव/कुलसचिव, जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय, जमशेदपुर/अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी(उच्च शिक्षा)/ लेखा शाखा, उच्च शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित तथा नोडल पदाधिकारी को विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(रामनिवास यादव)
निदेशक, उच्च शिक्षा।

80/9045

